उत्तर प्रदेश शासन
राजस्व अनुभाग-3
संख्या-2/2016/1370/एक-3-2015-52(अवकाश)/2008
लखनऊ: दिनांक: 07 जनवरी,2016

कार्यालय-ज्ञाप

उत्तर प्रदेश सचिवालय के राजस्व सचिव शाखा में कार्यरत रहे अनुसेवक, स्वर्गीय श्री लल्लू लाल का निधन सेवाकाल में दिनांक 18-01-2008 को हो गया है। मृत्यु की तिथि दिनांक 18-01-2008 को उनके अवकाश लेखे में कुल 236 दिनों का उपार्जित अवकाश देय था। वित्त विभाग के आदेश संख्या-सा-4-1327/दस-200/77, दिनांक 18 जून,1979 के साथ पठित शासनादेश संख्या-सा-4-1283/दस-200/88, दिनांक 17-09-1988 तथा शासनादेश संख्या-सा-4-393/दस-99-200/88,दिनांक 01-07-1999 के अधीन श्रीमती रामरती, पत्नी स्वर्गीय श्री लल्लू लाल, अनुसेवक को उक्त 236 दिनों के देय अवशेष उपार्जित अवकाश के सापेक्ष नियमानुसार ग्राह्य अवकाश नकदीकरण वेतन के समतुल्य नकद धनराशि भुगतान किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्त अवकाश नकदीकरण का भुगतान चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-62 लेखाशीर्षक-"2071-पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्तक हित लाभ-आयोजनेत्तर-01-सिविल-115-छुट्टी नकदीकरण हित लाभ-03-सेवानिवृत्त के समय अवकाश का नकदीकरण-33-पेंशन/अनुतोषिक/अन्य सेवानिवृत्ति हित लाभ के नामें डाला जायेगा।

दिनेश कुमार सिंह
सचिव।

संख्या एवं दिनांक: उपरोक्तानुसार

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- सचिवालय प्रशासन अनुभाग-4 (अधि0)।
2- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3- अनुभाग अधिकारी, राजस्व लेखा अनुभाग को एक अतिरिक्त प्रति सहित।
4- श्रीमती रामरती, पत्नी स्वर्गीय श्री लल्लू लाल, निवासी-आर्य समाज मन्दिर, प्रधान डाकघर के सामने, खुनखुनजी रोड, चौक, लखनऊ ।
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(प्रभाकर चन्द्र मिश्र)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।